(63)

प्र.क. R PBR / 2015

प्रस्तुती दिनांक 02 / 12 / 2015

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर

कैम्प इन्दौर के समक्ष

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री [illegible]
प्रार्थी / अभिभाषक द्वारा दिनांक 2/12/15
को प्रस्तुत।
1715/02-12-2015
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

चेतन पिता श्री जगदीशचंद्र शर्मा

निवासी – बदनावर तह. बदनावर

जिला धार म.प्र. .... प्रार्थी / निगरानीकर्ता

विरूद्ध

म.प्र. शासन .... विपक्षी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959

मान्यवर महोदय,

इसमें अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर महोदय धार जिला धार द्वारा प्र.क. 02 / रिव्यू / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 03.10.2015 से व्यथित व असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4068-पीबीआर/15 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-1-2019	आवेदक की ओर से श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 24-4-2019 को सुनवाई हेतु आयुक्त के समक्ष उपस्थित हों । अनावेदक शासन को सूचना दिया जाये । अध्यक्ष	